

Final NOC

NOC Application has been approved successfully !!!

Print

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2022/60585/KPD/KANPUR DEHAT/910/CFO

दिनांक : 05-09-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स PD NIGAM INTERNATIONAL SCHOOL पता
MOHAMMADPUR, MOHAMMADPUR ROAD, AKBARPUR तहसील - AKBARPUR प्लॉट एरिया
8936.00 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 1992.00 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BUILDING	2	0	7.45 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स PD NIGAM INTERNATIONAL SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 12-09-2022 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SHRI HARSH NIGAM MO. 9919916083 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 12-09-2022 से 11-09-2025 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स PD NIGAM INTERNATIONAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स PD NIGAM INTERNATIONAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : लो राज भवनों हेतु शासनादेश संख्या.187/छ:पु0-8-2022/905(34)/2016 टीसी दिनांक.07.01.2022 में निर्देशों के अनुरूप एनबीसी में दी गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में संशोधन के अनुसार, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सुझाव के अनुसार सेटबैक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्णय सत्ताप्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा। वर्ष में एक बार मॉक ड्रिल का आयोजन अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर

निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है |"



निर्गत किये जाने का दिनांक : 12-09-2022

स्थान : KANPUR DEHAT

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

SURENDRA SINGH

1E5679AE28A87795143C5328D32274EF3CB2E66F

12-09-2022

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.